संख्या:04/2020/509/77-6-2020-9(बजट)/16टीसी

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर आयुक्त, उद्योग,
लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 13 मार्च, 2020

विषयः नई औद्योगिक नीति-2017 के अन्तर्गत निवेश प्रोत्साहन गतिविधियों के सम्पादन के संबंध में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उद्योग बन्धु के पत्र संख्या-उ0ब0/10361/248/ 2019-20/लेखा दिनांक 11.02.2020, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नई औद्योगिक नीति शीर्षक के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू.482,00,00,000.00 (रू0 चार सौ बयासी करोड़) के सापेक्ष रू.8,48,90,000.00 (रू0 आठ करोड़ अड़तालीस लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखकर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1- उक्त धनराशि को आहरित करके उद्योग बन्धु को उपलब्ध कराया जाएगा जिसका उपयोगिता प्रमाणपत्र अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु द्वारा हस्ताक्षरित कर अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाएगा तथा उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन में किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृत की जा रही है।

2- धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1/170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22-03-2019 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- राजकोष से धनराशि का आहरण केवल तत्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आकलन अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा किया जाएगा।

5- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/शर्तों एवं प्रावधानों के अधीन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- किसी भी परिस्थिति में धनराशि को आहरित कर एकमुश्त/बैंक/पी.एल.ए. के खाते में नहीं रखा जायेगा।

7- स्वीकृत धनराशि का लेखा जोखा उद्योग बन्धु द्वारा रखा जाएगा।

8- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग की अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-20 नई औद्योगिक नीति-42-अन्य व्यय के नामे डाला जाएगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-6-178/दस-2020 में दिनांक 11-03-2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

संख्याः04/2020/509(1)/77-6-20-9(बजट)/16टीसी तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज ।
2- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
4- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग -6
8- नियोजन अनुभाग-1/4
9- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।